<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-03 अलीगढ़।</u>

वाद सं-17/12/2022
पूजा बनाम अरविन्द आदि।
मु. अ. सं.-13/2022
धारा- 498A, 323,504,506 भा०द०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना - महिला थाना, अलीगढ़।

<u>19.12.2022</u>

वादी मुकदमा पूजा के द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत कर मु. अ. सं.-13/2022 अंतर्गत धारा-498A,323,504,506 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना- महिला थाना, अलीगढ़ में विवेचक द्वारा दाखिल अंतिम आख्या को स्वीकार कर मुकदमें को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना-महिला थाना पर दिनांक-03.02.2022 को मुकदमा अपराध सं-13/2022 अन्तर्गत धारा-498A,313,323,504,506 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बनाम अरविन्द आदि में पंजीकृत कराया गया था जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं-17/22 दिनांक-15.05.2022 प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत मामले में विवेचक के द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है एवं दोनों पक्षकारों में समझौता हो जाने के कारण वादिया द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अंतिम आख्या स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। अतः न्यायहित में अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिया पूजा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मुकदमा अपराध संख्या-13/2022 अंतर्गत धारा-498A,323,504,506 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना- महिला थाना, अलीगढ़ में प्रस्तुत अंतिम आख्या सं-17/22 दिनांकित 15.05.2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०-03 अलीगढ़।